मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार दिनांक 26 अगस्त, 2019 के अनुसार द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 154% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 12% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर प्रतिशत में	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से (माह अक्टूबर, 2021 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर, 2021 में देय होगी)	10%	5%	164%	17%

***80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी ।**

3/ उपरोक्त महँगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त महँगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक

एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति / पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

6/ महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें ।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें ।

9/ यह आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी से प्राप्त आदेश दिनांक **21-10-2021** के अनुपालन में जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya - Bhopal

No. -F 9- 3/2019/Rule/IV Bhopal, dated 14 December, 2021

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners Government of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 12% dearness Relief w.e.f. Octoober 2021 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 9-3/2019/Rule/IV dated 26 Augast, 2019.

2/ The State Government is pleased to sanctioned the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners should be as given below.

s.no.	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Rate of D.R. Resulting increase in D.R. rate	
		VI th Pay scale	VII th Pay scale	VI th Pay scale	VII th Pay scale
1.	w.e.f. 01-10-2021 (Pension/family pension for the month of Octoober 2021 paid in November 2021)	10%	5%	164%	17%

The additional pension payable to the pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

3/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also

http www finance mp gov in

be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5.10.76. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds.

4/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.

6/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

7/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983.

8/ After payment of dearness relief the same may be got test checked by the Director pension if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

9/ This order is being issued in complaiance of Hon'ble Chif minister order Date **21-10-2021** in co-ordination.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(P.K. Shrivastav)
Deputty Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department